

कार्यालय कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।

(भूमि अर्जन कार्यालय, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर)

एच-169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा-2, ग्रेटर नौएडा

पत्रांक: 378 /आट-अ0जि0अ0(भू0अ0)/नो0अ0ग्री0ए0जे0/गौतमबुद्धनगर

दिनांक 08 /05/2019

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।


विषय:- नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के विकास के लिए भूमि अर्जन, अधिनियम, 2013 की धारा-23 के अन्तर्गत घोषित अधिनिर्णय की सूचना एवं अधिनिर्णीत धनराशि प्राप्त करने की सूचना के प्रकाशन विषयक।

कृपया उपर्युक्त विषयक नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन अधिनियम-2013 की धारा-23 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम किशोरपुर की 171.1854 हेक्टेयर, ग्राम दयानतपुर की 395.1404 हेक्टेयर एवं ग्राम रोही की 433.1251 हेक्टेयर भूमि का अधिनिर्णय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के अनुमोदन दिनांक 04.05.2019 के अनुक्रम में दिनांक 06.05.2019 को घोषित किया जा चुका है। घोषित अधिनिर्णय में अधिनिर्णीत धनराशि का वितरण हितबद्ध व्यक्तियों/भू-स्वामियों को नियमानुसार किया जाना है।

प्रश्नगत परियोजना हेतु उक्त तीनों ग्रामों में अर्जित भूमि के सापेक्ष हितबद्ध व्यक्ति/भू-स्वामी प्रतिकर की धनराशि कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) के एच-169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा-2, ग्रेटर नौएडा स्थित कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर आवश्यक वांछित अभिलेख (लेखपाल द्वारा सत्यापित फार्म सी0सी0, तहसीलदार द्वारा जारी हिस्सा प्रमाण पत्र, मालिकाना प्रमाण पत्र, अदेयता प्रमाण पत्र, शपथ-पत्र, बंधक पत्र, पहचान पत्र, बैंक अकाउन्ट नम्बर बैंक द्वारा सत्यापित आदि) प्रस्तुत कर तथा समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए प्राप्त करने एवं धनराशि प्राप्त न करने दशा में भूमि अर्जन, अधिनियम, 2013 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में जमा करने तथा घोषित अधिनिर्णय की सत्यापित छाया प्रतियां प्रत्येक प्रस्तावित/प्रभावित ग्राम की ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम में तथा जिला कलेक्टर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट के कार्यालय जेवर में तथा भूमि अध्याप्ति कार्यालय में जनसामान्य के अवलोकन हेतु संचित होने संबंधी सार्वजनिक सूचना का प्रारूप जनपद गौतमबुद्धनगर की वेबसाईट पर अपलोड किया जाना है।

अतः उपरोक्त आशय की सार्वजनिक सूचना का प्रारूप एवं ग्राम किशोरपुर, दयानतपुर एवं रोही के घोषित अधिनिर्णय की छायाप्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त सार्वजनिक सूचना एवं अधिनिर्णय की छायाप्रतियों को गौतमबुद्धनगर की जिला वेबसाईट पर बने ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर नामक पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोक्त।


(बलराम सिंह)

कलेक्टर/
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।

(भूमि अर्जन कार्यालय, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर)

एच-169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा-2, ग्रेटर नोएडा

पत्रांक: 379 /आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/नो0अ0ग्री0ए0जे0/गौतमबुद्धनगर

दिनांक 08/05/2019

सार्वजनिक सूचना

नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन, अधिनियम, 2013 की धारा-23 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम किशोरपुर की 171.1854 हेक्टेयर, ग्राम दयानतपुर की 395.1404 हेक्टेयर एवं ग्राम रोही की 433.1251 हेक्टेयर भूमि का अधिनिर्णय आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के अनुमोदन दिनांक 04.05.2019 के अनुक्रम में दिनांक 06.05.2019 को घोषित किया जा चुका है। घोषित अधिनिर्णय में अधिनिर्णीत धनराशि का वितरण हितबद्ध व्यक्तियों/भू-स्वामियों को नियमानुसार किया जाना है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु उक्त तीनों ग्रामों में अर्जित भूमि के सापेक्ष हितबद्ध व्यक्ति/भू-स्वामी प्रतिकर की धनराशि कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0) के एच-169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा-2, ग्रेटर नोएडा स्थित कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर आवश्यक वांछित अभिलेख (लेखपाल द्वारा सत्यापित फार्म सी0सी0, तहसीलदार द्वारा जारी हिस्सा प्रमाण पत्र, मालिकाना प्रमाण पत्र, अदेयता प्रमाण पत्र, शपथ-पत्र, बंधक पत्र, पहचान पत्र, बैंक अकाउन्ट नम्बर बैंक द्वारा सत्यापित आदि) प्रस्तुत कर तथा समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्ति द्वारा अधिनिर्णीत धनराशि प्राप्त नहीं की जाती है तो उसकी धनराशि को भूमि अर्जन, अधिनियम, 2013 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में जमा करा दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त तीनों ग्रामों के घोषित अधिनिर्णय की सत्यापित छाया प्रतियां प्रत्येक प्रस्तावित/प्रभावित ग्राम की ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम में तथा जिला कलेक्टर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट के कार्यालय जेवर में तथा भूमि अध्याप्ति कार्यालय में जनसामान्य के अवलोकन हेतु संचित हैं तथा घोषित अधिनिर्णय की एक प्रति जनपद गौतमबुद्धनगर की वेबसाइट www.gbnagar.nic.in पर बने ग्रीनफील्ड अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर नामक पोर्टल/पेज पर भी उपलब्ध है।

08/05/19
कलेक्टर/
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)
गौतमबुद्धनगर।